

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे संविधा हो।



ग्राम : जीवाजीटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2013/ 6146

दिनांकः 06/03/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के.एस. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2401011) को
सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस.-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की
अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाओं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी
विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार
निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- | | |
|---|----------|
| (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442603) | (संयोजक) |
| (2) डॉ. रेणुका दास, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर। | |
| (3) प्रो. के.एस. घकुर, आर्या, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। | |

निरीक्षण के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष
निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएनस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा
प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित
करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विर्णवानुसार
निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस् में विश्वविद्यालय कार्यालय में विरीक्षण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस् में पूर्ण हो सकेंगी एवं
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस् में Report प्राप्त न होने की दियति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ
है। विर्णवानुसार अर्थदृष्ट जमा कराकर बड़ी समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस् में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करवा
अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिंब छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रब्राह्मली लेकर जायेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. /
मानदय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर
निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की
व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)